

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 07/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक : 08.01.2024

अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

छीतरलाल आत्मज जयकुमार जाति महाजन निवासी मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

....अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
2. नगरपालिका इन्द्रगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़, जिला बून्दी
3. अध्यक्ष नगरपालिका इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

....रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित : श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक -अपीलांत
पेरोकार सरकार -रेस्पोंड क्र. 1

:: निर्णय ::

दिनांक 09.04.2025

अपीलांत द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रकरण संख्या 62/2008 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के यहां पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या अपील/एलआर/1464/2011/ बून्दी बउनवान छीतर लाल बनाम राजस्थान सरकार वगेराह में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 से प्रकरण में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 आराजी खसरा सं0 214 रकबा 0.46 है0 भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि पक्षकारान को सुनकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक :1(17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा स्थानान्तरित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा 2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.04.2008 से व्यथित होकर अपीलांत द्वारा पेश की गई अपील का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह मौके की पूर्व जांच किये बिना ही पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। राजकीय भूमि खसरा संख्या 214 क्षेत्रफल 0.46 है0 बारानी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि पर अपीलांत का पिछले 60 वर्षों से वंशक्रमानुगत कब्जे में चली आ रही है। अपीलांत ने उक्त भूमि पर पक्का पट्टी, कमरा, बरामदा, दुकार व चारदिवारी गत 60 वर्षों से बना रखे हैं। उक्त भूमि आवास एवं व्यवसाय के काम में ली जाती थी तथा इस पर कृषि कार्य, मवेशी पालने, डेयरी व्यवसाय अपीलांत का परिवार करता आ रहा है। इस प्रकार लम्बी अवधि के कब्जा चले आने के कारण राज्य सरकार का उक्त भूमि से अपीलांत को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करने का अधिकार अवधि समाप्त हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार को ग्रामवासियों से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश अपीलांत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया है, जिसकी अपीलांत को जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा जानकारी प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त होने के उपरांत अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपील विषयक आदेश दिनांक 02.04.2008 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर खसरा सं० 214 क्षेत्रफल 0.46 हेक्टर ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबत नगरपालिका इन्द्रगढ़ को आबादी विस्तार हेतु किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जावे।


2. माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या अपील/एलआर/1464/2011/बून्दी बउनवान छीतर लाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 से प्रकरण में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.12.2010 आराजी खसरा सं० 214 रकबा 0.46 है0 भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि पक्षकारान को सुनकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक :1(17) राजस्व-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 से संबंधित समस्त अपीलों का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा से न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा स्थानान्तरित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में अपील न्यायालय हाजा में पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रैस्पों० परोकार सरकार सुनी गई।

रजिस्ट्रार
कोटा

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है। राजकीय भूमि खसरा संख्या 214 क्षेत्रफल 0.46 है0 बारानी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है, जिस पर पर अपीलांत का पिछले 60 वर्षों से वंशक्रमानुगत कब्जा चला आ रहा है। अपीलांत ने उक्त भूमि पर पक्का पट्टी, कमरा, बरामदा, दुकार व चारदिवारी गत 60 वर्षों से बना रखे हैं। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। नगरपालिका के द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि नहीं चाही गयी थी। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपील विषयक आदेश दिनांक 02.04.2008 को आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर खसरा सं0 214 क्षेत्रफल 0.46 हेक्टर ग्राम इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के बाबत नगरपालिका इन्द्रगढ़ को आबादी विस्तार हेतु किया गया आवंटन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।
4. रेस्पोंड पेट्रोकार सरकार ने कथन किया कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा 2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया, जो उचित है। आवंटित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 214 रकबा 0.46 है0 पर अपीलांत के द्वारा अतिक्रमण किया जाकर भट्टा, मकान, दुकान एवं चारदिवारी बनाया जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलांत आवंटित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिस पर अपीलांत का किसी प्रकार से हित प्रभावित नहीं होता है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।
5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पोंड पेट्रोकार सरकार पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2008 के द्वारा आराजी खसरा सं0 595, 690, 67, 68, 70, 183, 214, 215, 216, 185 एवं 695 आबादी विस्तार हेतु आवंटन के नगर पालिका मण्डल, इन्द्रगढ़ के प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार आराजी खसरा सं0 695 की किस्म माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिबंधित होने से उक्त खसरा नम्बर के अलावा 2.96 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रश्न प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क रहा है कि राजकीय भूमि खसरा संख्या 214 क्षेत्रफल 0.46 है0 बारानी ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है, जिस पर पर अपीलांत का पिछले 60 वर्षों से वंशक्रमानुगत कब्जा चला आ रहा है। अपीलांत ने उक्त भूमि पर पक्का पट्टी, कमरा, बरामदा, दुकान व चारदिवारी गत 60 वर्षों से बना रखे हैं। तहसीलदार, इन्द्रगढ़ ने आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर बून्दी को राजकीय भूमि का प्रस्ताव भिजवाये जाने के पूर्व मौके की स्थिति की जांच नहीं की और काबिज व्यक्तियों के बाबत

कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई। नगरपालिका के द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि नहीं चाही गयी थी। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ (बून्दी) के द्वारा पत्रांक 3766 दिनांक 27.02.2006(31.03.2006) से संलग्न सूची (सूची के क्र. सं. 9 पर खसरा सं0 214 रकबा 0.46) अनुसार सिवायक भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन करने बाबत जिला कलक्टर, बून्दी से अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, बून्दी के द्वारा पत्रांक राजस्व-11/06/1007 दिनांक 24.04.2006 से तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रेषित करते हुए अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका इन्द्रगढ़ (बून्दी) के द्वारा पत्रांक 3766 दिनांक 27.02.2006(31.03.2006) के संदर्भ में आवंटन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया। इसके उपरांत जिला कलक्टर, बून्दी के पत्रांक प.12-3(72)राजस्व11/06/3861 दिनांक 29.09.2007 से नगर पालिका इन्द्रगढ़ की आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार (भू.अभि.) इन्द्रगढ़ के द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.12.2007 जिला कलक्टर, बून्दी को प्रस्ताव प्रेषित किये गये। जिसके अनुसार निर्धारित प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 (क्या प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है?) में रिपोर्ट पटवारी अनुसार अतिक्रमण होने का उल्लेख किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2062-2065 में खसरा सं0 214 रकबा 0.46 है0 राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2062-2065 में उक्त खसरा नम्बरान पर रिपोर्ट पी14 अनुसार भट्टा, मकान, दुकान एवं चारदिवारी होना अंकित किया गया है। इस प्रकार आवंटित भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकोर्ड होने तथा तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 214 रकबा 0.46 है0 (पी14 अनुसार) पर अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण किया जाकर भट्टा, मकान, दुकान एवं चारदिवारी बनाया जाना अंकित होने से अपीलांट आवंटित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से अपीलांट का उक्त राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं0 214 रकबा 0.46 है0 पर किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार (भू.अभि.) इन्द्रगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार संलग्न निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज मौका रिपोर्ट, जमाबंदी, एवं खसरा गिरदावरी का समुचित परीक्षण कर प्रावधान अनुसार विधिक प्रक्रिया का पालना करते हुए निर्णय दिनांक 02.04.2008 पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा
कोटा संभाग, जालंधर